

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013—फाल्गुन 24, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2013 (फाल्गुन, 22 शक संवत् 1934)

क्र. 7103-वि.स.-स्था.-13.—मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 (क्रमांक 20, 1981) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्यपाल, मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के परामर्श से मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1990 में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति अनुसार निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

संशोधन

उक्त नियमों के नियम 17 के प्रथम परन्तुक में रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) के स्थान पर रुपये 7,00,000/- (रुपये सात लाख) प्रतिस्थापित किया जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव.